न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 201/2024

अनवान : –

1. नूर कौर पुत्री मनप्रीत सिंह जाति जटसिख उम्र करीब 2 माह जरिये प्राकृतिक माता एवं संरक्षक जसविन्द्र कौर पत्नी मनप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 13, थालडका बारानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
2. जसविन्द्र कौर पत्नी मनप्रीत सिंह जाति जटसिख उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 13, थालडका बारानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. गुरमेलसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 13, थालडका बारानी, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल निवासी 2 एम एल तहसील एवं जिला श्री गंगानगर ।
2. सुनीता पत्नी रामावतार जाति ब्राहमण निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राजस्थान ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महेश राठौड़ अधिवक्ता **सायलान**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांक: 24/09/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्यल संख्या 2 के पति मनप्रीत केक पड़दादा जगर सिंह पुत्र बिशनसिंह की ग्राम 3 एमएल पटवार हल्का 2 एमएल भू अभिलेख निरीक्षक श्रीगंगानगर के जमाबंदी सम्वत 2054–57 खेवट (खतोनी) संख्या नयी 15, पुरानी 18 के अनुसार 25 बीघा (6.3232 हेक्येटर) खातेदारी नहरी कृषि भूमि थी। उक्त कृषि भूमि में से 13 बीघा कृषि भूमि राजस्थान सरकार द्वारा जरिये इंतकाल नम्बर 144 अधिग्रहण कर ली गई थी। जिसका मुआवजा जगर सिंह और उनके वारिसान को प्राप्त हुआ था । चूँकि जगर सिंह के वारिसान सुखविन्द्र कौर, सुखपाल कौर ने जरिये दस्तबरदारी उक्त कृषि भूमि और उससे सम्बन्धित किसी भी हक का त्याग किया गया था इसलिए उक्त शेष 12 बीघा कृषि भूमि जरिये सुखदेव सिंह उनके वारिसान बंसत कौर गुरमेल सिंह, गुरलाभ सिंह, बलकरणसिंह, अमरजीत सिंह, छिन्द्र सिंह को न्याय गत हुई ।

जगर सिंह जी के पुत्र सुखदेव सिंह की मृत्यु जगर सिंह से पूर्व हो गयी थी, इसलिए उक्त 13 बीघा राजस्थान सरकार द्वारा अधिगृहित कृषि भूमि का मुआवजा /प्रतिकर सुखदेव सिंह के वारिसान बसंत कौर, गुरमेल सिंह, गुरलाभ सिंह, बलकरणसिंह, अमरजीत सिंह, छिन्द्र सिंह को प्राप्त हुए। जिसमें [illegible] से बसंत कौर को छोड़कर सुखदेव सिंह के अन्य वारिसान द्वारा ग्राम [illegible] भू.अभि. नि. क्षेत्र देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ [illegible] 386 मु. 6, एवं [illegible] नम्बर 223 / 386 मु. 7 में 50 बीघा कृषि भूमि खरीद की गयी। [illegible] उक्त कृषि भूमि [illegible] और सुखदेव के वारिसान गुरमेल सिंह–गुरलाभ सिंह–छिन्द्र सिंह–बलकरण सिंह–अमरजीत सिंह द्वारा अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:51:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चक 3 एम एल पटवार हल्का चक 2 एम एल श्री गंगानगर की 25 बीघा पैतृक कृषि भूमि में से 13 बीघा कृषि भूमि राज्य सरकार में अधिग्रहण के प्राप्त मुआवजे । प्रतिकर की राशि से खरीद की गई थी इसलिए गैर सायल संख्या 1 एवं उसके भाईयो द्वारा ग्राम 1 के एम में उपरोक्त वर्णित खरीद की गई 50 कृषि भूमि भी पैतृक कृषि है, जिसमे सुखदेव के वारिसान के बारिसानो का हक एवं हिस्सा नियमानुसार होगा।

ग्राम 1 के एम पटवार हल्का थालडका, भू.अभि. नि. क्षेत्र देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के पत्थर नम्बर 224 / 386 मु. 6, एवं पत्थर नम्बर 223 / 386 मु. 7 की 50 बीघा कृषि भूमि सुखदेव सिंह के पुत्रों के आपस में तय बंटवारा अनुसार अग्रलिखित प्रकार से राजस्व जमाबंदी में खातेदारी दर्ज हुई –गुरमेल सिंह (गैर.स.1) की ग्राम 1 के. एम. पटवार हल्का थालडका, भू.अभि.नि.क्षेत्र देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 13, पुराना 14 के पत्थर नम्बर 224 / 386 मु.6 के किला नम्बर 2,3,8,9,12,13,18,19, 21/2, 22/2, 22/3,23/1, 23/2 की कुल 10 बीघा (2.530 हेक्टेयर) कृषि भूमि, गुरलाभ सिंह की ग्राम 1 के.एम, पटवार हल्का थालडका, भू.अभि.नि.क्षेत्र देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 14 में पत्थर नम्बर 224 / 386 के मु. नम्बर 6 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24 एवं 25 कुल दस बीघा (2.530 हेक्टेयर) कृषि भूमि, छिन्द्र सिंह की ग्राम 1 के.एम, पटवार हल्का थालडका, भू.अभि.नि. क्षेत्र देईदास लहसील नोहर के खाता संख्या 17 में पत्थर नम्बर 223/386 मु. नम्बर 7 के किला नम्बर 5,6,15,16, 25/1, 25/2 एवं 224 / 386 के मु.न.6 के किला नम्बर 1,10,11, 20,21/1,21/3,22/1 कुल 10 बीघा (2.530 हेक्टेयर) कृषि भूमि, बलकरण सिंह की ग्राम 1 के. एम, पटवार हल्का थालडका, भू.अभि. नि. क्षेत्र देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 17 में पत्थर नम्बर 223/386 मु. नम्बर 7 के किला नम्बर 1,2,9 ता 12.19 ता 22 कुल 10 बीघा (2. 530 हेक्टेयर) कृषि भूमि, अमरजीत सिंह की ग्राम 1 के.एम, पटवार हल्का थालडका, भू.अभि.नि. क्षेत्र देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 2 में पत्थर नम्बर 223/386 मु. नम्बर 7 के किला नम्बर 3 ता 8,13,14,17,18 23/1, 23/2, 24/1, 24/2 कुल 10 बीघा (2.530 हेक्टेयर) कृषि भूमि जमाबंदी राजस्थान सरकार अनुसार दर्ज खातेदार है। गैर सायल संख्या 1 (गुरमेल सिंह) के नाम से जमाबंदी में दर्ज उक्त पैतृक कृषि भूमि में सायल संख्या 1 के पिता एवं सायल संख्या 2 के पति मनप्रीत सिंह का जन्म से ही हक था। उक्त चक 1 के एम, थालडका की उक्त 10 बीघा (2.530 हेक्टेयर) कृषि भूमि में गुरमेल सिंह, उसके पुत्र मनप्रीत सिंह एवं पुत्री सतवीर कौर का बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा अर्थात 0.8433 हेक्टर हिस्सा था एवं उसी अनुरूप मनप्रीत सिंह के वारिसान (गैर–सायलान) का बहिस्सा बराबर हक्क एवं हिस्सा है। उक्त 10 बीघा कृषि भूमि के प्रत्येक इंच स्थान पर मनप्रीत सिंह एवं उनके वारिसान का विधिक खातेदारी अधिकार एवं हक है।

मनप्रीत सिंह की दिनांक 30–05–2024 को मृत्यु हो चुकी है, उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि में मनप्रीत सिंह का 1/3 हिस्सा होने के कारण, मनप्रीत सिंह के फौत होने की सुरत में सायल संख्या 1, 2 एवं मनप्रीत सिंह की माता का उसके हिस्से में आने वाले कृषि भूमि में से बहिस्सा बराबर (प्रत्येक का 1/3 हिस्सा) है एवं कुल कृषि भूमि में से प्रत्येक बहिस्सा बराबर 1/9 हिस्सा है। इस प्रकार मनप्रीत सिंह की मृत्यु के बाद [illegible] संख्या 1 को कुल कृषि भूमि का 1/9 हिस्सा एवं सायल संख्या 2 को 1/9 [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:51:46 IST
Reason: SelfAttested

गैर सायल संख्या 1 गुरमेल सिंह ने जानबूझ[illegible]र सायलान की पैतृक कृषि भूमि में से, उनके हक हिस्से से वंचित करने के लिए, उसमे से अच्छी एवं उत्तम गुणवत्ता की कृषि भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

येन केन तरीके से बेचा जा रहा है, इसी क्रम में गुरमेल सिंह (गैर.स. 1) ने ग्राम 1 के. एम, पटवार हल्का थालडका, भू.अभि.नि.क्षेत्र देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 13, पुराना 14 के पत्थर नम्बर 224 / 386 मु.6 के किला नम्बर 13/2, 18,23/1, 23/2 (0.6325 हेक्टेयर कृषि भूमि गैर सायल स.2 को दिनांक 10-05-2023 को बेचान कर दी। जिसका सायल संख्या 1 के पिता एवं सायल संख्या 2 के पति मनप्रीत सिंह ने जीवित रहने के दौरान विरोध एवं इन्कार किया था। लेकिन उसके बावजूद भी गैर सायल संख्या 1 जबरन येन केन उक्त कृषि भूमि को गैर सायल स.2 को विक्रय कर दिया एवं शेष कृषि भूमि को बेचने की फिराक में है। गैर सायल स.1 को बिल्कुल अधिकारी नहीं है की वो मनप्रीत सिंह एवं उसके वारिसान की हक एवं हिस्से की पैतृक कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन, बैय या नामांतरण करे। मनप्रीत सिंह की मृत्यु के बाद तो गैर सायल सख्या 1 येन केन अपनी समस्त पैतृक कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। इसी क्रम में गैर सायल स.1 ने अपनी चक 2 एम एल श्री गंगानगर की कृषि भूमि भी सतवीर कौर को जरिये दस्तबरदारी नामांतरण कर दी है ताकि सायलान उक्त कृषि से वंचित हो जाए। मनप्रीत के जीवन काल में स्वयं मनप्रीत एवं सायल संख्या 2 ने गैर सायल सख्या. 1 को बहुत बार निवेदन किया की आप हमारे हिस्से की पैतृक कृषि भूमि को बेचान नहीं करे । दिनांक 05-05-2024 को भी गैरसायल संख्या 2 ने गैर सायल स. 1 से निवेदन किया की आप उक्त कृषि भूमि में से मनप्रीत के हिस्से का बेचान एवं अन्य को नामांतरण नहीं करे लेकिन गैर सायल स. 1 ने उनके इस निवेदन को मानने से इंकार कर दिया और खाता संख्या 13, पुराना 14 के पत्थर नम्बर 224 / 386 मु.6 किला नम्बर 3,8, 13/1 की 0.6325 हेक्टेयर कृषि भूमि गैरसायल स.2 को दिनांक 08-05-2024 को फिर से गुपचुप तरीके से बेचान कर दी। जिसका ज्ञान सायलान को 15-07-2024 को हुआ ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम 1 के. एम, पटवार हल्का थालडका, भू.अभि.नि.क्षेत्र देईदास तहसील नोहर के खाता संख्या 13, पुराना 14 के पत्थर नम्बर 224 / 386 मु.6 की कृषि भूमि को विक्रय, नामान्तरण, रहन, करने से निषिद्ध करने एवं मौका एवं रिकोर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 1 केएम तहसील नोहर के खाता स0 13/14 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि गैरसायल स0 1 की स्वयं की अर्जित भूमि है पैतृक भूमि नही है एवं सायल प्रतिवादी स0 1 का पोता भी नही है गैरसायल स0 1 द्वारा वादीया स0 2 को विदेश भेजने के लिए श्रीगंगानगर की भूमि बैय करनी पड़ी उतरदाता द्वारा उक्त भूमि स्वयं की अर्जित आय से खरीद की गई है जिसमें किसी का कोई हक हिस्सा नही है। सायला द्वारा गैरसायलान को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है एवं गैरसायल स0 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय [illegible] गैरसायल स0 1 द्वारा अपनी घरेलू जरूरतो को पूरा करने हेतु गैरसाय[illegible] है एवं गैरसायल स0 2 द्वारा विधि अनुसार भूमि खरीद की [illegible] प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:51:46 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल स0 1 द्वारा अन्य भूमि को बैय कर उक्त भूमि की आमदन से यह भूमि खरीद की गई है इसलिए इसलिए रोही मौजा 1 केएम की भूमि पैतृक भूमि है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अन्य भूमि बैय कर/मुआवजे/प्रतिकर की राशि से रोही मौजा 1 केएम के खाता स0 13/14 की भूमि खरीद की गई हो अर्थात प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि बाबत पैतृक का कथन किया गया है ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 02.08.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/09/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:51:46 IST
Reason: SelfAttested